

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड- 6 राज्य कर, देहरादून (AC-10 सहित) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड- 6 राज्य कर, देहरादून (AC-10 सहित) के माह 04/2019 से 03/2020 (AC-6), 04/2018 से 03/2020 (AC-10) तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत (तदर्थ), सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.11.2020 से 19.11.2020 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: AC-VI इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनंद कुमार पाण्डेय, लेखापरीक्षक, श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.03.2020 से 12.03.2020 तक श्री एन.सी. शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। तथा AC-X इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण, वरि. लेखापरीक्षक तथा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.01.2019 से 15.01.2019 तक श्री एन. के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक एवं व्यय हेतु माह.....से..... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु क्रमशः माह 04/2019 से 03/2020 (AC-6) तथा 04/2018 से 03/2020 (AC-10) तक तथा व्यय हेतु माहसे.....तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: -

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	(AC-6) 692.81+553.00 (AC-10)
2018-19	(AC-6) 1098.75+339.89 (AC-10)
2019-20	(AC-6) 1368.67+437.53 (AC-10)

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

₹:

(₹ लाख में)

वर्ष	Plan		Non plan		अधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
आहरण वितरण कार्य नहीं किया जाता है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड- 6 राज्य कर, देहरादून (AC-10 सहित) को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड- 6 राज्य कर, देहरादून (AC-10 सहित) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: ----- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ----- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर -1: कर का न्यूनारोपण ₹ 6.78 लाख ।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 1965525.00 की राजस्व क्षति।

प्रस्तर - 02 : कर का अनारोपण ₹ 11.97 लाख ।

प्रस्तर -03 : समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 0.97लाख।

प्रस्तर -04 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.91 लाख।

प्रस्तर -05 : आईटीसी का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 0.43 लाख।

STAN

STAN -01 : आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.13 लाख।

व्यय की लेखापरीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग 2 'अ'

प्रस्तर -1: कर का न्यूनारोपण ₹ 6.78 लाख ।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -6, राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि

1. सर्व श्री ए ओ पीओपी वर्क्स देहरादून (टिन 05008716736, वर्ष 2016-17) का व्यापार जिप्सम पावडर, पीओपी आइरन वायर की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष में उक्त के द्वारा प्रांत के बाहर से ₹ 3221519.00 (₹ 955722 का जिप्सम पावडर व ₹ 2265797.00 की पीओपी) की खरीद घोषित की गयी। प्रांत अंदर से ₹ 2237516.00 की पीओपी आइरन वाइर की खरीद की गयी। उक्त खरीद के विरुद्ध ₹ 7123880.00 के जिप्सम पावडर, पीओपी की बिक्री 5% की दर से घोषित की गयी। उल्लेखनीय है की पीओपी अवर्गीकृत वस्तु है और जिप्सम पावडर माइनर मिनेरल है जो अवर्गीकृत है। अतः उक्त की बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपणीय है। अर्थात् अंतरीय दर 8.5% से ₹ 605529.80 का कर एवं नियमानुसार ब्याज आरोपणीय है।

विभाग ने 26 दिसंबर 2013 के धारा 57 के निर्णय का उल्लेख करते हुए उत्तर दिया की gypsum and PoP under Ores and Mineral category and hence taxable at 5%.

विभागीय उत्तर अमान्य है क्योंकि खान मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2015 के अनुसार जिप्सम माइनर मिनेरल के अंतर्गत है SchII B के अनुसार वह excluded है। पुनः उक्त धारा 57 के अनुसार PoP भी हयड्रेटेड जिप्सम है और अवर्गीकृत है अतः उक्त दोनों वस्तुये 13.5%/14.5% के दर से taxable हैं।

2. व्यापारी सर्वश्री उवेश ट्रेडर्स, टिन: 05012981535, की वर्ष 2015-16 की कर निर्धारण पत्रावली में old waste plastic की ` 4,91,500/- की बिक्री पर 5% की दर से ` 24,575/- की कर देयता निर्धारित की गई है जबकि old waste plastic के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण, इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया

जाना चाहिए था। अतः ` 4,91,500/- की **old waste plastic** की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 41,778/- का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा CTTUP Vs Kartos International Etc. 2011 उल्लेख करते हुए उत्तर दिया गया कि “general words take colour from specific words plastic-specific, scrap - general. इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(3) (c) का भी उल्लेख किया गया जिसके अनुसार “**the rate of tax on such parts, spares and accessories which are not classified elsewhere in the Principal Act, shall be same as applicable to that commodity under said act.**

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सर्वश्री संयुक्त महाप्रबंधक, आयुध निर्माण, रायपुर देहरादून प्रकरण में आयुक्त राज्य कर द्वारा स्वयं यह निर्णय दिया गया है कि निष्प्रयोज्य सामान की श्रेणी में केवल आयरन स्क्रेप पर ही करदेयता 4 प्रतिशत की है।

3. **सर्व श्री असवाल स्टोर देहरादून (टिन 05016661521, वर्ष 2016-17)** का व्यापार इलेक्ट्रिकल्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष में उक्त के द्वारा प्रांत बाहर से ₹ 1010856.00 (₹ 287617.00 5% की दर से व ₹ 723239.00 14.5% की दर से) की खरीद घोषित की गयी। कर निर्धारण आदेशानुसार कुल बिक्री रु 906142.00 (₹ 254413.00 5% की दर से व ₹ 651729.00 14.5% की दर से) इलेक्ट्रिकल्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की घोषित की गयी। तदनुसार ₹ 254413.00 की बिक्री पर भी न्यूनतम 13.5% की दर से कर ₹ 21625.00 (अंतरीय दर 8.5% से) आरोपणीय था।

विभाग ने उत्तर में बताया की शैड्यूल 2 ब की एंट्री संख्या 61 से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 5% की दर से आच्छादित है।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त एंट्री आई टी गुड्स की है। जबकि उक्त व्यापारी इलेक्ट्रिकल्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की खरीद बिक्री करता है।

4. **व्यापारी सर्वश्री हेमकुंट एसोशिएट्स, त्यागी रोड, देहरादून, टिन: 05012772791**, की वर्ष 2016-17 की कर निर्धारण पत्रावली में **motor parts/machinery parts** की ` 1,03,260/- की बिक्री पर 5% की दर से ` 5163/- की कर देयता निर्धारित की गई है जबकि **motor parts/machinery parts** के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची में शामिल न होने के कारण, इसकी

बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः ` 1,03,260/- की **motor parts/machinery parts** की बिक्री पर अंतरीय दर 8.5% (13.5 - 5) से ` 8,777/- का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः कर के न्यूनारोपण के कारण ` 6,77,709/- (6,05,529 + 41,778 + 21,625 + 8,777) की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 01 : कर के अनारोपण के फलस्वरूप ₹ 1965525.00 की राजस्व क्षति।

सहायक आयुक्त राज्य कर खंड -6 देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री श्री कृष्णा कन्स्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन नथुवाला देहरादून (टिन 05006037887 वर्ष 2007-08) व्यापारी संविदाकार है। कर निर्धारण आदेशानुसार (सी टी ओ 10) व्यापारी द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत शासन द्वारा लागू की गयी एक मुश्त समाधान योजना स्वीकार की गयी। व्यापारी का मूल संविदाकार लैनको इंफ्राटेक लि देहरादून है तथा उसके द्वारा ही देय समाधान शुल्क जमा कराया गया है, मात्र सर्वश्री लैनको इंफ्राटेक लि देहरादून द्वारा संविदा कार्य निष्पादित कराने हेतु उक्त व्यापारी को उप संविदाकार नियुक्त किया गया है तथा संगत वर्ष के लिए किए गए कार्य हेतु कुल प्राप्त भुगतान ₹ 1307718.00 था एवं टीडीएस की धनराशि ₹ 52308.00 थी। उक्त टीडीएस ₹ 52308 का रिफंड उपसंविदाकर को निर्गत किया गया।

संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 03 फार्म 16 का प्रयोग करते हुए प्रांत के बाहर से ₹ 3925214.00 का मशीन, पार्ट्स का आयात किया गया तथा 03 फार्म सी इसी माल के विरुद्ध प्रयोग किया जाना स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2006-07 में भी उक्त व्यापारी द्वारा 03 फार्म 16 के विरुद्ध ₹ 7550854.00 की मशीनरी (machine ₹2453464.00, Volvo machine ₹ 5074500.00, spare parts ₹ 22890.00) आयात किया गया था। Machine ₹ 2453464.00, Volvo machine ₹ 5074500.00 के आयात के विरुद्ध 02 फार्म सी का प्रयोग करना घोषित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 में भी ₹ 3083383.00 की मशीन कैपिटल गुड्स की खरीद प्रांत बाहर से की गयी। परिणामस्वरूप विभिन्न वर्षों में व्यापारी द्वारा ₹ 14559451.00 के कैपिटल गुड्स की खरीद व्यापारी द्वारा की गयी थी। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19.11.2018 के अनुसार उपरोक्त फर्म वर्ष 2015 में बंद हो गयी है। विभागीय सूचना के अनुसार उक्त फर्म का रजिस्ट्रेशन 28.05.2015 को कैन्सिल कर दिया गया था। व्यापारी द्वारा उक्त आयातित मशीनरी के बिक्री इत्यादि के संबंध में कोई भी उल्लेख कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में वर्णित नहीं किया गया है, न ही कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया। अतः उक्त समस्त मशीनरी को बिक्रीत मानते हुए न्यूनतम 13.5% की दर से कर ₹ 1965525.88 (₹14559451x13.5%) एवं नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 2 : कर का अनारोपण ₹ 11.97 लाख ।

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक 243/2016/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 21 जून 2016 द्वारा अविभाजित सिविल एवं विद्युत संकर्म संविदाकारों के संबंध में दिनांक 01-04-2016 से उस समय तक, जब तक राज्य सरकार योजना को समाप्त न कर दे या जी0एस0टी0 लागू होने तक जो भी पहले घटित हो, तक के लिए उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 7 (2) के अंतर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 16 के अनुसार मुख्य संविदाकार, उप संविदाकार को कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप, रीति एवं समयावधि में ऐसा प्रमाण पत्र उप संविदाकार को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें संविदा का विवरण, मुख्य संविदाकार द्वारा सम्पन्न उप संविदा हेतु उप संविदाकार को भुगतान की गई धनराशि, मुख्य संविदाकार एवं उप संविदाकार का टिन एवं अन्य विवरण अंकित होंगे, जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसा प्रमाण संबन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसी समयावधि एवं रीति में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि कमिश्नर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

उप संविदाकार, उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके ही अपने कर दायित्वों से मुक्ति पा सकेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 6, राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री केलवोल्ट इंडिया प्रा0 लि0, देहरादून**, टिन: 05015532344 को संगत वर्ष 2016-17 में कुल ` 1,99,57,702/- का भुगतान प्राप्त हुआ है परंतु उक्त भुगतान संविदाकार को M/s Sapoorji Pallonji & Co. pvt के उप संविदाकार के रूप में कार्य करने हेतु प्राप्त हुआ है। तथापि, उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक **243/2016/14(120)/XXVII(8)/06** दिनांक **21 जून 2016** के अनुच्छेद 16 में वर्णित दिशानिर्देशों द्वारा वांछित प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार उप संविदाकार, उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके ही अपने कर दायित्वों से मुक्ति पा सकेगा। अतः उक्त व्यापारी **सर्वश्री केलवोल्ट इंडिया प्रा0 लि0**, को कर मुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं था।

संगत वर्ष 2016-17 में उक्त व्यापारी द्वारा कुल ` 1,88,38,425/- की आयातित खरीद की गई थी जो कुल प्राप्त भुगतान ` 1,99,57,702/- के 5 प्रतिशत (` 9,97,885.00) से अधिक है। अतः, उक्त प्राप्त भुगतान पर, उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग - 8 के पत्रांक 243/2016/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 21 जून 2016 के अनुसार 6 प्रतिशत की दर से ` 11,97,462/- की समाधान राशि देय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि मुख्य संविदाकार द्वारा संविदाकार को जारी प्रमाणपत्र की प्रति एवं मुख्य संविदाकार का संगत वर्ष के कर निर्धारण आदेश की प्रति संलग्न है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उपलब्ध प्रमाणपत्र की प्रति, संगत वर्ष 2016-17 की न होकर विगत वर्ष 2015-16 के द्वितीय तिमाही से संबंधित है। यदि इकाई द्वारा ठीक इसी प्रकार का प्रमाण पत्र आपत्तिगत वर्ष 2016-17 के संबंध में उपलब्ध कराया जाता तो उपसंविदाकार **सर्वश्री केलवोल्ट इंडिया प्रा0 लि0**, को कर मुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल होता। इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई मुख्य संविदाकार M/s Sapoorji Pallonji & Co. pvt के वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण आदेश की प्रति से भी यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्य संविदाकार द्वारा सर्वश्री **सर्वश्री केलवोल्ट इंडिया प्रा0 लि0** को ` 1,99,57,702/- का भुगतान किया गया है एवं समस्त राशि पर कर का भुगतान किया गया है।

अतः ` 11.97 लाख के कर के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर -03 : समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 0.97

लाख।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस विकल्प को अपनाने वाले व्यापारी, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जैसी की विहित की जाय, के अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के बदले में ऐसे विक्रय के सम्पूर्ण आवर्त पर 1 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे।

पुनः उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर नियमावली 2005 के नियम 11 के उप नियम (2) के अनुसार प्रत्येक ब्यौहारी, जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का भुगतान करना चाहता है, कर निर्धारक प्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र प्रारूप 22 में एक निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के 45 दिन के भीतर दाखिल करेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 6, राज्य कर, देहरादून के 04/2018 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री दीपक डीपार्टमेंटल स्टोर, देहरादून**, टिन: 05016968332, द्वारा संगत वर्ष 2016-17 हेतु अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से कर देयता का विकल्प कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के 45 दिन के भीतर अर्थात् दिनांक 15.05.2016 तक जमा न करके दिनांक 26.05.2016 को ऑन लाइन दाखिल किया गया था एवं कार्यालय **रसीद संख्या 16892 दिनांक 13.06.2016** को दाखिल किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र समयांतर्गत न होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना नियमानुकूल नहीं था। अतः उक्त व्यापारी अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार कर के भुगतान के लिए दायी होगा।

संगत वर्ष 2016-17 में उक्त व्यापारी द्वारा कुल ` **19,39,824/-** की प्रांतीय बिक्री घोषित की गई थी एवं उक्त बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से ` **19,398/-** का कर आरोपित किया गया था। तथापि, उक्त व्यापारी के समाधान योजना हेतु पात्र न होने के कारण उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (आ) के अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत की दर से ` **96,991/-** का कर आरोपित किया जाना चाहिए था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः समाधान योजना का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण ₹ 0.97 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर -04 : देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.91 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) (b) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में (i) (दिनांक 31.03.2015 से पूर्व) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हजार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा (ii) (दिनांक 31.03.2015 से) यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हजार से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड - 6, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 18,17,341/- को विलंब से जमा किया गया था। अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 90,867/- का आरोपणीय अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः ` 0.91 लाख के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	TIN सं	कर निर्धारण वर्ष	माह/त्रैमास	कर जमा करने की देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	विलंब अवधि	कर की राशि	अर्थदण्ड की दर	अर्थदण्ड की राशि
1	ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, देहरादून	05001224844	2016-17	Apr-16	20-May-16	28-May-16	8	73880.00	5.00	3694
				May-16	20-Jun-16	29-Jun-16	9	76862.00	5.00	3843
				Jun-16	20-Jul-16	22-Jul-16	2	65774.00	5.00	3289
				Jul-16	20-Aug-16	22-Aug-16	2	87340.00	5.00	4367
				Aug-16	20-Sep-16	22-Sep-16	2	84374.00	5.00	4219
				Sep-16	20-Oct-16	26-Oct-16	6	73203.00	5.00	3660
				Oct-16	20-Nov-16	1-Dec-16	11	63638.00	5.00	3182
				Nov-16	20-Dec-16	29-Dec-16	9	64294.00	5.00	3215
				Dec-16	20-Jan-17	23-Jan-17	3	69522.00	5.00	3476
				Jan-17	20-Feb-17	23-Feb-17	3	80914.00	5.00	4046
				Feb-17	20-Mar-17	24-Mar-17	4	76997.00	5.00	3850
				Mar-17	20-Apr-17	29-Apr-17	9	82443.00	5.00	4122
2	तेजस्वा मसल्स अँड स्पोर्ट लि0	05014176478	2015-16	Q1 (Apr - Jun 2015)	20-Jul-15	27-Jul-15	7	337500.00	5.00	16875
				Q3 (Oct - Dec 2015)	20-Jan-16	25-Jan-16	5	295000.00	5.00	14750
				Q4 (Jan - Mar 2016)	20-Apr-16	21-Apr-16	1	285600.00	5.00	14280
						TOTAL		1817341.00		90867.05

भाग 2 'ब'

प्रस्तर -05 : आई0टी0सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण राजस्व क्षति ` 0.43 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ई) के प्रतिबंधित प्रावधानों के अनुसार कराधेय माल के उत्पादन या कैपटिव पावर के ईंधन के रूप में उपयोग किए गए पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ़्यूल, प्राकृतिक गैस और डीज़ल को छोड़कर) और अन्य ईंधन के क्रय पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए गए कर के संबंध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा, लेकिन इसमें मोटर यानों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त ईंधन सम्मिलित नहीं होगा।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xi) के अनुसार यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो वह व्यौहारी अर्थदण्ड के रूप में ₹ 5000 या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो का भुगतान करेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खंड-6, राज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सर्वश्री साईं होस्पीटैलिटी सर्विसेस, देहरादून, टिन: 05014557397, व्यापारी के 2016-17 के प्रांतीय कर निर्धारण वाद (खंड -10) की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा गैस की ₹5,36,298/-की खरीद पर ` 75,921/- (` 1,84,137@13.5% एवं ` 3,52,060@14.5%) की आई.टी.सी. का लाभ प्रदान किया गया था किन्तु उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार फ़्यूल (गैस) की खरीद ` 5,36,298/- पर 2 प्रतिशत से अधिक भुगतान किए गए कर के संबंध में आंशिक आई.टी.सी. ` 65,197/-(` 1,84,137@11.5% एवं ` 3,52,060@12.5%) का लाभ अनुमन्य किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, व्यापारी को ` 10,724/- (75,921- 65,197) की आईटीसी का अधिक लाभ अनुमन्य किया गया है जो राजकोष में जमा कराये जाने योग्य है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार गलत दावा की गई आई.टी.सी की उक्त राशि का तीन गुना अर्थात ` 32,172/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः, आई0टी0सी0 का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण ` 42,896/- (10,724 + 32,172) लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

STAN -01: आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का आनारोपण

0.13 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड - 6, राज्य कर, देहरादून के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी **सर्वश्री मैक्स इंडस्ट्रीज़, देहरादून,** टिन: 05015669308, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में ` 20,106/- की केमिकल की खरीद 13.5%/14.5% की दर से की गई थी एवं अंतिम रहतिया शून्य दर्शाया गया था, परंतु 13.5 %/14.5% की दर से कोई भी बिक्री घोषित नहीं की गई थी। अतः उक्त केमिकल की खरीद पर बिक्री के अनुक्रम में न्यूनतम ` 2,915/- (20,196/- का 14.5%) का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है। इसके अतिरिक्त आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने के कारण उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा 1(v) के अंतर्गत ` 10,000/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः, कर एवं अर्थदण्ड के आनारोपण के कारण ` 12,915/- (2,915 + 10,000) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
18/2006-07	1	2	-
25/2007-08	1	1,2,3,4	-
03/2011-12	1	-	1
42/2012-13	-	1,2	-
59/2017-18	1,2	1	STAN 1
158/2019-20	-	1,2,3,4	-

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड- 6 राज्य कर, देहरादून (AC-10 सहित) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं:
शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री पुष्पेन्द्र चौधरी	सहायक आयुक्त
(ii)	डा. शशिकांत दूबे	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV